

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

न्यायालय उपलब्ध अधिकारी सुन्दरराज

पीठाधीन अधिकारी :- श्री लेश रमेश (आर-ए-एफ)

दाला सं- 65/2019

उपलान

1. रमेश चन्द्र वर्मा पुत्र शंकर गालीशम वर्मा पारिषदाकार  
नियामी मान नगर सुन्दर 280 व जिला सुन्दर ।  
- वादी -  
- दायी -

1. सुलोचना देवी पत्नी रमेश चन्द्र वर्मा पारिषदाकार  
नियामी मान नगर सुन्दर 280 व जिला सुन्दर ।

2. सच. डी. एफ. सी. लैक लिड शाका सुन्दर 280 व  
व जिला सुन्दर पारिषे शाका पब्लिक ।

3. राजव-सरकार पारिषे लैड होल्डर नरसीलका (सुन्दर)  
जिला सुन्दर (राजव) ।

- प्रतिवादीगण -

4. उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री श्रीम प्रकाश सेनी - वादी की ओर से -

2. श्री रवि कुमार सेनी - प्रतिवादीगण नम्बर-1 की ओर से -

= दाया दायीगण रकारा विभाजन =

निर्णय

दिनांक 18/4/22

वाड वादी के संक्षेप में तथ्य इत प्रकार से हैं  
कि न्यायालय के प्राथमिक निर्णय दिनांक  
18-3-2021 के द्वारा गजम शंकरम पटवार मण्डल  
देरपाला नरत नरसीला सुन्दर के हाल शंकर नम्बर  
831 रकबा 0.0300 है, शंकर नं 832/878 रकबा  
0.0400 है, शंकर नं 840 रकबा 5.4300 है, शंकर नं  
840/1000 रकबा 0.0100 है, कुलकित 4 कुल रकबा

अधिकारी  
सुन्दर (राज.)

तारीख  
हकूम

(2)

5.5100.00 में दर्ज खातेदारी हक हिसाब के आउटमा (आउट) नतीजामत खेसुर के 500/- रुपये भौका फीस पर भौका कारिअर नियुक्त कर आदेशित किया जाकर पक्षकार की उपस्थिति के मागगीय राफ्तक मण्डल द्वारा मकद-2 पर जारी परिपत्रों के आउटमा एडुच मार्ग को एघार के शकत उरै लई मिस्म एच लाइडस विभाणन कर विभाणन आताक मापावक के 15 दिवक के देखाकारे लेतु आदेशित किया गया था। नतीजामत खेसुर के अपने एक मुआंज- राफ्तक/2021/2260 डिमांड 31/8/2021 को विभाणन आताक देखा किया गया। एके आशिल्ल भिलल किया जाकर विभाणन आताक पर ऐतराज/वास्त वकील पक्षकाराण पुनी गरी वकील पक्षकाराण के मुताबिक विभाणन आताक के वाद वादी कारिअर रूप के डिखी जारी करने पर आपनी शतमति व्यक्त की गरी रहने प्राथमिक निवेदन व डिखी डिमांड 18/3/2021 का एघार प्रबंड करते उरै प्रतुन विभाणन आताक नतीजामत व वास्त वकील पक्षकाराण पर लागू मगय किया गया। विभाणन आताक मुताबिक प्राथमिक निवेदन डिखी के आउटमा ली लेना जादिर लेँ कार: नतीजामत पर वाद वादी मुताबिक विभाणन आताक के आउटमा कारिअर रूप के डिखी किया जागा लेँ विभाणन आताक निवेदन व डिखी का माग रहेगा। नतीजामत खेसुर को आदेशित किया जागा लेँ कि वह मुताबिक विभाणन आताक के आउटमा

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाणन आताक के आउटमा कारिअर रूप के डिखी किया जागा लेँ विभाणन आताक निवेदन व डिखी का माग रहेगा। नतीजामत खेसुर को आदेशित किया जागा लेँ कि वह मुताबिक विभाणन आताक के आउटमा

अधिवक्ता  
मुंबई (राज.)


दस्तावेज नं. 65/2019

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

(3)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

राजस्थान रिकार्डिंग डायल-डायल का पालना  
करें। 2 वर्षों पर्यन्त 31/12/22 तक करें।  
तदनुसार पंचायत डिक्री जारी की जायगी किन्तु  
शुल्क लेना दर्ज न होना से नकल के एक कोर नकल  
डाकिले करवा ले। आदेश डायल नं. 18/4/22  
को मेरे द्वारा निम्नलिखित जाका सुले जाया  
में सुनाया गया।

  
22.04.22  
मैजिस्ट्रेट अधिकारी  
झुंझर (राज.)